हुक्मनामा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा राज0

प्रकरण संख्या : पत्थरगढी 98/2022 दिनांक : 25-5-22
भेरूलाल पिता रोडा जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0। ....प्रार्थी

//बनाम//

1. पोखर पिता प्यार जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. शान्तिलाल पिता भेरू जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
3. भगवतीलाल पिता उदयलाल जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
4. जब्बार खां पिता ज्वला खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0। ....विपक्षीगण

कार्यवाही धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रेषिती :–

श्रीमान् तहसीलदार, तहसील निम्बाहेडा राज0

जो कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपनी खातेदारी की आराजीयात ग्राम सतखण्डा प0ह0 सतखण्डा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 की खाता संख्या नया 361 जिसके आ0 न0 412 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आ0न0 413 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, आ0न0 434 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, आ0न0 438 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आ0न0 439 रकबा 0.1000 है0, आ0न0 440 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.7200 हैक्टेयर स्थित है, इस आशय की पत्थरगढी पेश की। साथ में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस पेश की। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडौसी है। प्रार्थी राजस्व रेकॉर्ड में प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेडा को...1000../–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष को सूचना देते हुए मौके पर कोई विवाद नही होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही होने पर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलअन्दाजी किए आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह रोपे। पालना रिपोर्ट न्यायालय में 15 दिवस में पेश करे।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 25-5-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)